मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय

क्रमांक - 456 /आर- 2595982 /2025/ब-1/चार भोपाल,दिनांक 31 मार्च 2025

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   शासन के समस्त विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
   मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में दिशा-निर्देश ।

-00-

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) अधिनियम, 2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये समस्त विभागों की विभिन्न मांग संख्याओं में अनुदान प्राप्त किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार मांग संख्यावार बजट पुस्तकें प्रकाशित हैं एवं वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोषालय से आहरण के लिये निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

(I) <u>बजट आवंटन</u>–

2. वित्तीय वर्ष 2025-2026 में आय-व्यय के संतुलन तथा मितव्ययता की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

(i) <u>राजस्व व्यय</u>

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मुक्त श्रेणी के व्ययों हेतु संलग्न **परिशिष्ट-1** अनुसार एवं अन्य बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का **100 प्रतिशत** आवंटन जारी किया जाता है ।

(ii) <u>पूंजीगत व्यय</u>

पूंजीगत व्यय के बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का **100 प्रतिशत** आवंटन जारी किया जाता है।

(iii) <u>अपरीक्षित योजनाओं में आवंटन</u>

परिशिष्ट-2 में उल्लेखित योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी से योजना के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग को अवगत करायेगा। वित्त विभाग द्वारा **परिशिष्ट-2** से योजना को हटाने के उपरांत योजना के सुसंगत नियमों के अनुसार आहरण किया जा सकेगा ।

(II) **<u>व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना –</u>**

3. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :-

   (i) **<u>'मुक्त' श्रेणी के व्यय</u>**- ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में त्रैमासिक व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो। (वेतन-भत्ते-मजदूरी / न्यायालयीन डिक्री / छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति / प्राकृतिक आपदा / ऋण अदायगी आदि अति आवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है ।) ऐसे व्ययों पर त्रैमासिक व्यय सीमा लागू नहीं होगी।

   (ii) सामान्य श्रेणी के व्यय (ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत न हो)

4. कंडिका 3 (ii) अनुसार वर्गीकृत सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए **त्रैमासिक व्यय सीमा** निम्नानुसार लागू होगी:-

4.1 त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोडकर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा । प्रत्येक त्रैमास के लिये शेष वार्षिक आवंटन की अधिकतम 25 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिये उपलब्ध आवंटन के आधार पर पृथक-पृथक त्रैमासिक व्यय सीमा लागू होगी।

4.2 प्रशासकीय विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) द्वारा योजनाओं में आवश्यकता के आधार पर ऊपर वर्णित कंडिका 4.1 में उल्लेखित त्रैमासिक व्यय सीमा में संशोधन किया जा सकेगा। आई.एफ.एम.आई.एस. में उपयुक्त संशोधन करने की सुविधा दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध रहेगी। यदि इस अवधि तक त्रैमासिक व्यय सीमा में कोई संशोधन बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) द्वारा नहीं किया जाता है तो इसके उपरांत कंडिका 4.1 में उल्लेखित त्रैमासिक व्यय सीमा लागू हो जायेगी।

4.3 उपर्युक्त के पश्चात् यदि किसी त्रैमास में उपलब्ध त्रैमासिक व्यय सीमा में बचत का उपयोग आगामी त्रैमास में किया जाना हो अथवा किसी आगामी त्रैमास की उपलब्ध त्रैमासिक व्यय सीमा का उपयोग पूर्व के किसी त्रैमास में किया जाना हो तो वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

4.4 त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (उद्देश्य शीर्ष स्तर तक) पर लागू होगी ।

टीप :- यदि एकमुश्त भुगतान (जैसे उपकरणों का क्रय आदि) किया जाना हो, तो विभाग त्रैमासिक व्यय सीमा से शिथिलता हेतु प्रकरणवार प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर सकता है।

4.5 <u>त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन</u>-

(i) अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

(ii) यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ को राशि हस्तांतरित करता है,तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को,पहले बीसीओ

की त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा ।

(iii) यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षों में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

(III) <u>अन्य निर्देश –</u>

(i) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 88/आर-2036896/2024/ब-1/चार दिनांक 15 जनवरी 2025 के द्वारा राज्य की संचित निधि से आहरित कर बैंक खातों मे रखी गई आवश्यकता से अधिक शेष राशि को राज्य की संचित निधि में जमा करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र की कंडिका-6 के अनुसार विभागीय भारसाधक सचिव द्वारा उक्त परिपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में वित्त विभाग को दिनांक 05 अप्रैल 2025 तक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है। इन निर्देशों के पालन उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट आवंटन किया जा सकेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रावधान, **IFMIS** के माध्यम से विभागों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही इस परिपत्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुक्त, कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा की जाएगी।

(iii) बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस बजट आवंटन आदेश से जारी बजट, **IFMIS** के माध्यम से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(iv) मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

(v) मध्यप्रदेश वित्त संहिता-1 के नियम 9 में वर्णित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों तथा शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये । बजट आवंटन से अधिक के नवीन कार्यों/दायित्व निर्मित नहीं किये जाये । उपलब्ध बजट आवंटन से सर्वप्रथम पुराने लंबित दायित्वों का निराकरण किया जाये तत्पश्चात शेष उपलब्ध आवंटन के अनुरूप वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये लक्ष्य निर्धारण किया जाये।

(vi) यदि किसी योजनांतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31/03/2025 की स्थिति में महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण की जाये ।

(vii) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय वर्ष के लेखे अगले वर्ष के सितंबर माह तक अंतिम किये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त वैधानिक निगमों को उनके अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लेखों को अंतिमिकृत किया जाना चाहिये। अतः ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम जिनके द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत लेखों को अंतिमिकृत नही किया गया हो उन्हें राज्य शासन के बजट से राशि जारी नहीं की जाये।

(viii) हितग्राही मूलक योजनाओं में उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

(ix) किसी भी योजनांतर्गत राशि के आहरण की स्वीकृति तब तक जारी नहीं की जाए, जब तक कि देयता निर्मित नहीं हो गई हो।

(x) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केंद्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात ही केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाकर **SNA** खातों में राशि अंतरित की जाना चाहिये ।

(xi) केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश राशि का SNA खातों में अंतरण की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्थिति में राशि अंतरण में विलंब के कारण ब्याज भुगतान की स्थिति निर्मित न हो, इसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का रहेगा।

(xii) केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में सेगमेंट कोड 0707, 0708 एवं 0709 से कोषालय के माध्यम से वेतन आहरण करने के उपरांत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्र 422/आर-915/2020/ब-1/चार दिनांक 21 मार्च 2023 के अनुसार SNA खातों से प्रतिपूर्ति की कार्यवाही त्रैमासिक रूप से सुनिश्चित की जाये तथा तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्र 379/आर-915/2020/ब-1/चार दिनांक 11 मार्च 2024 के अनुसार लोक लेखा से आवधिक समायोजन (पुनर्प्राप्ति) की कार्यवाही भी सुनिश्चित कर वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।

(xiii) जिन योजनाओं/कार्यक्रमों में भारत सरकार से केन्द्रांश राशि सीधे एस.एन.ए/सी.एन.ए बैंक खातों में प्राप्त हो रही हैं। ऐसी योजनाओं में केन्द्रांश की राशि का बजट के माध्यम से समायोजन बुक ट्रांसफर द्वारा सुसंगत प्राप्ति शीर्ष 1601 में किया जाये तथा कृत कार्यवाही से महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।

(xiv) जिन योजनाओं/कार्यक्रमों में भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के आधार (Reimbursment basis) पर राशि प्राप्त होती है, राज्य के बजट से राशि व्यय होने के अधिकतम दो माह के अंदर भारत सरकार को क्लेम प्रस्तुत कर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जाये ।

(xv) बजट के कुछ शीर्षो में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों में धनराशि अंतरित होने

की अपेक्षा में किया जाता है। ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा निधियों के विरूध्द किये गये व्यय के आवधिक समायोजन (पुनर्प्राप्ति) के आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, त्रैमासिक व्यय के आधार पर जारी कर महालेखाकर कार्यालय एवं वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।

(xvi) आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्यवाही वित्त विभाग से सहमति उपरांत की जाना आवश्यक है। वित्त विभाग से सहमति उपरांत आरक्षित निधियों में अंतरण के आदेश विभाग द्वारा जारी कर महालेखाकार कायार्लय एवं वित्त विभाग को प्रेषित किये जाये । साथ ही IFMIS से भी आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्यवाही वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व कराई जाना सुनिश्चित करें ।

(xvii) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदों में रखे गये प्रावधानों के विरूद्ध व्यय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 347/आर 1703/चार/ब-1/2012 दिनांक 31/03/2017 (अथवा इस दिनांक के पश्चात इस विषय पर जारी परिपत्र अनुसार) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के उपरांत किया जाये ।

(xviii) नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु राज्य बजट से किये गये व्यय के क्लेम नाबार्ड अथवा संबंधित वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किये जाकर वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।

(xix) यदि किसी योजना के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि से बचत की संभावना निर्मित हो तो विभाग द्वारा इसकी समीक्षा कर IFMIS से बजट समर्पण की कार्यवाही दिनांक 15 जनवरी, 2026 के पूर्व

सुनिश्चित की जाये, जिससे बचत की राशि का उपयोग किसी अन्य विभाग की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा किया जा सके।

(xx) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये । इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तन्वी सुन्द्रियाल)
संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक- 457 /आर- 2595982 /2025/ब-1/चार भोपाल,दिनांक 31 मार्च 2025

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राजभवन मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
4. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/ भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव/संचालक बजट/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/

अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

12. आयुक्त कोष एवं लेखा,पर्यावास भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट **www.finance.mp.gov.in** पर अपलोड करने हेतु ।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

<u>परिशिष्ट-1</u>

मुक्त श्रेणी के व्यय

क्र	व्यय का प्रकार	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
(क)	छात्रवृत्ति के निम्न मद।	-	-	-	41-छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ	001-शिष्यवृत्ति 002-छात्रवृत्ति 003-अध्ययन भ्रमण
(ख)	जहाँ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों का भुगतान होता हो।	-	-	-	42-सहायक अनुदान	002-संधारण अनुदान (वेतन, भत्ते, मानदेय इत्यादि)
		027-स्कूल शिक्षा	2202	0581, 2669, 3491, 4396 8403	42-सहायक अनुदान	009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान
		033-जनजातीय कार्य	2202,2225	0581, 0978, 2773, 3496	42-सहायक अनुदान	009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान
(ग)	जहाँ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे-प्राकृतिक-आपदा आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान राहत राशियां इत्यादि)	008-भू राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2235 उप मुख्य शीर्ष-60 लघु शीर्ष-800	-	-	-
			2245, 6245	-	-	-
(घ)	अनुसूचित जाति/ जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	033-जनजातीय कार्य 049- अनुसूचित जाति कल्याण	2225,4225 2225	7881 5191	-	-
(ड.)	न्यायालयीन आदेश/ डिक्री से संबंधित भुगतान	-	-	-	53- डिक्री धन का भुगतान	-
(च)	शासन की ऐसी देयताएं, जहां निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे-ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं एन्यूटी-राशियां)	"." (dot) भारित-विनियोग ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा ".." (double dot)-भारित विनियोग लोक ऋण	-	-	-	

परिशिष्ट-1

क्र	व्यय का प्रकार	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
		006- वित्त	2071	-	-	-
(छ)	स्थापना व्यय	-	-	-	11-वेतन,भत्ते,12-मजदूरी, 13-पेंशन तथा अनुषांगिक लाभ, , 16-वेतन भत्ते, अखिल भारतीय सेवा,17-वेतन भत्ते विधायक/मंत्री,18-वेतन भत्ते न्यायिक सेवा,19-कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन, 21-यात्रा भत्ता	
		-	-	-	22-कार्यालय व्यय	001-डाक एवं तार व्यय 002-दूरभाष व्यय, 004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं 005-बिजली एवं जल प्रभार, 007 लेखन सामग्री एवं फॉर्म, 009 पेट्रोल, तेल आदि, 011-किराया महसूल और स्थानीय कर
(ज)	15 वें वित्त आयोग से संबंधित व्यय	022-नगरीय विकास एवं आवास	-	9638, 9640	-	-
		040-पंचायत	-	9638	-	-
(झ)	अन्य आवश्यक व्यय	003 गृह	2070	0492, 7327	31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	004-विशेष सेवाओं के लिये मानदेय
		007-वाणिज्यिक कर	-	4612	-	-
		010-वन	-	0535	31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	007-परिवहन व्यवस्था
				7781	51- अन्य प्रभार	
		012-ऊर्जा	-	5378, 5381, 5855, एवं 7313	-	-

परिशिष्ट-1

क्र	व्यय का प्रकार	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
		014-किसान कल्याण एवं कृषि विकास	2401	8768	22-कार्यालय व्यय	008 अन्य आकस्मिक व्यय
					31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों	004- विशेष सेवाओं के लिये मानदेय
		022-नगरीय विकास एवं आवास	-	8018	42-सहायक अनुदान	008 राज्य शासन द्वारा उदग्रहीत और संग्रहीत कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन
			-	1425	45-पूंजीगत परिसंपत्तियों निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	001-पूंजीगत परिसंपत्तियों निर्मित किये जाने हेतु अनुदान
		030-ग्रामीण विकास	-	6255	42 सहायक अनुदान	009 पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान
		031-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	-	1954, 5272, 8284	-	-
		032-जनसंपर्क	-	1294	44-राज सहायता	008-अन्य राज सहायता
		033-जनजातीय कार्य 049- अनुसूचित जाति कल्याण	-	7763	42-सहायक अनुदान 44-राज सहायता	007-अन्य 001- प्रत्यक्ष राज सहायता
		040-पंचायत	-	8214	42-सहायक अनुदान	009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान
			-	6299	42-सहायक अनुदान	007-अन्य
		051-धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	-	6225	-	-
		055-महिला एवं बाल विकास	2235	0658	31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों	004-विशेष सेवाओं के लिये मानदेय 011-अतिरिक्त मानदेय

परिशिष्ट-2

सक्षम प्राधिकारी से योजना की अनुमति उपरांत आहरण योग्य योजनाएं

क्र	विभाग का नाम	योजना का क्रमांक एवं नाम
1	नगरीय विकास एवं आवास	1645- मुख्यमंत्री समृध्द परिवार योजना
		1639- नगरीय क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरणों का गठन
		1049- कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास का निर्माण
2	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1664- निजी निवेश से शासकीय सम्पत्ति का संचालन
		1630- निजी निवेश से सम्पत्ति का निर्माण
		1629- सीएम केयर योजना
		1650-स्वास्थ्य एवं आंगनवाडी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना
3	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1664- निजी निवेश से शासकीय सम्पत्ति का संचालन
		1630- निजी निवेश से सम्पत्ति का निर्माण
		1641- लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम
		1649- सीएम युवा शक्ति योजना
4	वन	1621- टाईगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों का विकास
5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	1646- मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना
		1645- मुख्यमंत्री समृध्द परिवार योजना
		1647- मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना
6	जल संसाधन	9551- सिंचाई एवं पेयजल योजनाओ का सौर उर्जीकरण
7	नर्मदा घाटी विकास	9551- सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण
8	पशुपालन एवं डेयरी	1648- मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना
9	स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास	1664- निजी निवेश से शासकीय सम्पत्ति का संचालन
		1630- निजी निवेश से सम्पत्ति का निर्माण
10	पर्यटन	1640- फिल्म सिटी योजना
11	खेल और युवा कल्याण	1030- परम्परागत खेलों को प्रोत्साहन
		1638- मुख्यमंत्री स्टेडियम निर्माण योजना
12	समस्त विभाग	अपरीक्षित मद की अन्य सभी नवीन योजनाएं